



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2397]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2016/आश्विन 12, 1938

No. 2397]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2016/ASVINA 12, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2016

का.आ. 3121(अ).—जबकि मैसर्स जेट एयरवेज़ बोइंग बी777-300 विमान VT-JEK दिनांक 30.08.2016 को हीथ्रो हवाईअड्डा, लंदन में गंभीर घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि उक्त गम्भीर घटना के कारणों और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गम्भीर घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डॉ जितेंद्र लोढा सहायक निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी —सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15013/7/2016-डीजी]

अनिल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2016

**S.O. 3121 (E).**—Whereas M/s Jet Airways Boeing B777-300 aircraft VT-JEK was involved in a serious incident at Heathrow Airport, London on 30.08.2016.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Dr. Jitendra Loura, Assistant Director, AAIB with following member:

- (i) Sh. Rajee Bhatnagar, Assistant Director, AAIB as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV-15013/7/2016-DG]

ANIL SRIVASTAVA, Jt. Secy.